

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT GWALIOR**

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE GURPAL SINGH AHLUWALIA

ON THE 3rd OF SEPTEMBER, 2022

WRIT PETITION No.7336 of 2018

Between:-

- 1. RUCHI AGARWAL @ GUDDI @
RENU W/O LATE SHRI RAJKUMAR
AGARWAL D/O LATE RAMESH
CHAND GOYAL AGE 45 YEARS R/O
I/F BHAGWAN DAS SHOE
COMPANY, DAHI MANDI, DAULAT
GANJ LASHKAR GWALIOR
MADHYA PRADESH.**
 - 2. RAM GOYAL S/O LATE SHRI
RAMESH CHAND GOYAL AGE 47
YEARS R/O NEW FORT VIEW
COLONY, KOTESHWAR ROAD
GWALIOR MADHYA PRADESH.**
 - 3. SHYAM GOYAL S/O LATE SHRI
RAMESH CHAND GOYAL AGE 47
YEARS R/O SODA KA KUA,
KILAGATE GWALIOR. (DELETED
AS PER COURT'S ORDER DATED
7/3/2022) THROUGH LEGAL
REPRESENTATIVES:**
- A- SMT. NEETU GOYAL W/O LATE
SHRI SHYAM GOYAL AGE 46
YEARS (WIFE).**

- B- SHIVANI GOYAL D/O LATE SHRI SHYAM GOYAL AGE 23 YEARS (DAUGHTER).**
- C- PRACHI GOYAL D/O LATE SHRI SHYAM GOYAL AGE 19 YEARS (DAUGHTER).**
- D- KARTIK GOYAL S/O LATE SHRI SHYAM GOYAL AGE 11 YEARS MINOR TH. GURDIAN MOHTER SMT. NEETU GOYAL W/O LATE SHRI SHYAM GOYAL (SON)**

BOTH ARE R/O SODA KA KUAN, KILAGATE, GWALIOR.

.....PETITIONERS

(BY SHRI R.K. SONI – ADVOCATE)

AND

- 1. THE STATE OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SECRETARY VALLABH BHAWAN BHOPAL, MADHYA PRADESH.**
- 2. PRINCIPAL SECRETARY GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT MANTRALAYA GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH VALLABH BHAWAN BHOPAL, MADHYA PRADESH.**
- 3. PINCIPAL SECRETARY DEPARTMENT OF HOME MANTRALAYA GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH VALLABH**

**BHAWAN BHOPAL, MADHYA
PRDESH.**

4. **DIRECTOR GENERAL OF POLICE
POLICE HEADQUARTERS
JAHANGIRABAD BHOPAL,
MADHYA PRADESH.**
5. **SUPERINTENDENT OF POLICE
GWALIOR MADHYA PRADESH.**
6. **DIRECTOR, CENTRAL BEAURUE
OF INVESTIGATION, NEW DELHI.**
7. **THE COLLECTOR GWALIOR.**
8. **IN-CHARGE MALKHANA/C.J.M
DISTRICT AND SESSIONS COURT
GWALIOR MADHYA PRADESH.**
9. **TREASURY OFFICER MOTI
MAHAL GWALIOR.**
10. **S.H.O. POLICE STATION PADAV,
DISTRICT GWALIOR, MADHYA
PRADESH.**
11. **S.H.O. POLICE STATION
GWALIOR, KILAGATE DISTRICT
GWALIOR, MADHYA PRADESH.**

.....RESPONDENTS

(SHRI C.P. SINGH – PANEL LAWYER FOR THE STATE)

*This petition coming on for hearing this day, the Court passed the
following:*

ORDER

This petition under Article 226 of the Constitution of India has been filed seeking the following reliefs:-

- “A. That the respondents may kindly be directed to ensure fair and impartial investigation in matter in respect of Crime No.290/2017 dated 07-06-2017 under section 409 of IPC registered at Police Station Padav Gwalior by an independent agency likewise respondent No.6 and after completing investigation the *Challan* be filed against the accused persons before the competent court within a specified period.
- B. Cost of the petition be awarded or any other order or direction deemed fit in the case circumstances of the case be issued in the favor of the petitioner.”

2. The necessary facts for disposal of the petition in short are that Police Station Gwalior had registered Crime Nos.177/1988 and 178/1088 for offence under Sections 302, 396, 307 and 460 of IPC. According to the prosecution case, the complainant Prabhudayal Gupta lodged a report that at 5:30 in the morning, his cousin brother Satish Goyal came rushing to his house and was shouting that something has happened to his uncle and aunty (Chacha-Chachi). He, therefore, rushed to the house of his cousin brother and found that his uncle Rameshchand was lying in an unconscious condition and blood was oozing out from his body. The entire belongings of the room were lying here and there. The chest (locker) was also opened and the contents were missing. His aunty Smt. Basanti Devi was lying in a small room situated in front of the kitchen and she had already expired. She was having number of injuries on her head. Accordingly, FIR was lodged that some miscreants have taken away the valuables after committing murder of Basanti Devi and after

causing serious injuries to Ramesh Chand. The police seized gold and silver ornaments from accused Bahadur on 25/11/2018. The seized gold and silver ornaments were kept in the treasury. The trial of the accused persons was concluded on 13/5/2008. After the conclusion of the trial, the petitioners filed an application under Sections 451, 457 of Cr.P.C. before the Trial Court for release of the ornaments and accordingly, order dated 19/11/2013 was passed, thereby directing for release of the ornaments on execution of personal bond in the sum of Rs.30,00,000/-.

3. Since the Trial Court had directed that the applicants and Satish Goyal shall be given joint possession of the ornaments, therefore, the petitioners preferred M.Cr.C. No.10372/2013, which was decided by order dated 18/3/2016 with the following observations:-

As discussed above, it is for the parties to get their separate share declared from the competent succession court and, therefore, the order dated 19/11/2013 passed by the trial court is to be modified because the respondent No. 2 is not ready to execute a joint interim custody bond. However, looking to joint succession certificate, it may be presumed that the applicants and the respondent No. 2 have equal share in the property. Hence, order is modified with direction that at present valuation of all the ornaments be obtained by the trial court by calling some goldsmith, etc. and after getting complete valuation of each of the articles, interim custody of 3/4th ornaments on the basis of valuation be given to the applicants on furnishing the interim custody bond of amount (as assessed) by the applicants before the trial court along with surety bond of the same amount then 3/4th portion of the articles including golden and silver ornaments of the deceased be given on temporary custody to the applicants till demanded by the trial court.

However, it is made clear that respondent No. 2

would be free to get the single succession certificate from the competent succession court and thereafter up to that portion for which he is declared to be successor of the deceased that portion shall be given by the trial court to the respondent No. 2 on interim custody, if he applies for the same and at that time it is found that share of the respondent No. 2 is not 1/4th or it is more then the entire jewellery shall be called by the trial court from the applicants again and shall pass an appropriate order of interim custody. Also if respondent No. 2 claims remaining 1/4th share of the ornaments then on making an application the trial court would be free to pass an appropriate order of interim custody.

4. Thereafter, the petitioners moved an application before the Trial Court for release of the ornaments. Accordingly, by order dated 28/3/2016 the Trial Court directed that the ornaments may be called from the treasury and their valuation be done before handing over the property to the custody of the petitioners. Thereafter, the ornaments were never produced before the Trial Court. Since the treasury was not producing ornaments, therefore, by order dated 4/7/2016 the Trial Court also requested the District and Sessions Judge in this regard. On 6/7/2016 an information was received from the office of District and Sessions Judge, Gwalior that a departmental enquiry has been instituted against the then Malkhana Nazir, Shankarlal and separate proceedings are being done as the gold ornaments are not traceable. Thereafter, the petitioner also filed M.Cr.C. No.356/2017 before this Court for early disposal of the pending case and accordingly, by order dated 28/2/2017 the Trial Court was directed to dispose of the case as early as possible, preferably within a period of six months from the date of receipt of a certified copy of the order. After an enquiry, the District and Sessions Judge found that the

seized ornaments were not found in the treasury and accordingly, an FIR was lodged against the concerning Nazir and other unknown persons. The valuation of the property as per the FIR was Rs.80,00,000/- and it was found that Malkhana Nazir has committed an offence under Section 409 of IPC. From the FIR in Crime No.290/2017 registered at Police Station Padav, District Gwalior, it is clear that the gold ornaments went missing from the treasury itself and now they are not recoverable. Thereafter, the petitioners filed an application under Section 482 of Cr.P.C. which was registered as M.Cr.C. No.1336/2015 complaining non-arrest of accused Uma and Laxman, who were involved in commission of dacoity. The said petition was disposed of by order dated 2/12/2016 with the following observations:-

It is apparent from the record that since the charge sheet was filed against the absconding accused persons under Section 299 of Cr.P.C and, therefore, perpetual arrest warrant have been issued by the trial Court.

Instead of keeping this petition pending before this Court, it is directed that the SHO, Police Station Gwalior shall submit the progress report after every three months before the trial Court with regard to the steps taken by him for arresting the absconding accused persons.

This petition is being disposed of with a hope that every sincere efforts will be made by the SHO Police Station, Gwalior to execute the perpetual arrest warrants which have been issued by the trial Court.

With the aforesaid observations, the petition is disposed of.

5. It is further submitted that the petitioners have also filed Writ Petition No.5466/2017 for seeking compensation from the State Government/respondents department due to loss of gold ornaments worth

Rs.80,00,000/- and the said writ petition is also listed for analogous hearing alongwith the present petition. It is further submitted that the FIR in Crime No.290/2017, which was registered at Police Station Padav, District Gwalior, was lodged on 7/6/2017, but the police authorities have failed to trace out the real culprits and they also failed to recover the articles stolen from custody of State officials and accordingly, the present petition has been filed for free and fair investigation in respect of Crime No.290/2017.

6. The respondents have filed their reply/status report from time to time. The respondent nos.1, 2, 7 and 9 submitted that the prayer in the present petition is with regard to investigation and they have nothing to do with the said relief.

7. The respondent no.10, i.e. SHO, Police Station Padav, District Gwalior filed its reply and submitted that the investigating agency has prepared the spot map and has recorded the statements of Nazir Nayan Kishore Shrivastva, Uttamrao Pawar and suspect Hari Singh Kushwah. Nazir Nayan Kishore Shrivastava and Uttamrao have confirmed the alleged offence as mentioned in the FIR and the suspect Hari Singh Kushwah has denied all the allegations made against him. Correspondences with the concerning officers of Treasury Office, Motimahal, Gwalior have been made. As per the information received from the Treasury Office, the suspect Hari Singh Kushwah had received the concerning valuables on 2/5/2006 and 27/6/2006 by tendering his signatures in the Treasury Office. The signature of the suspect Hari Singh Kushwah were obtained and a draft was prepared and the signature of Hari Singh Kushwah were sent to the handwriting expert. Thereafter, the

petitioners filed an application for urgent hearing, i.e. IA No.3579/2020 and submitted that the manner in which the investigation is being done by the respondent no.10 is clearly indicative of his lazy and negligent manner. Thereafter, respondent no.10 filed Date of Events/Synopsis on 10/8/2020, which reads as under:-

s. No.	Date	Name of Investigation Officer	Action taken	Page No. of Case Diary
1	07.,06.2017	Amita Rakesh (Sub Inspector)	An FIR at Crime No. 290 was registered under Section 409 IPC against Hari Singh Kushwah Nazir on the basis of letter dated 06.06.2017 forwarded by Ld. CJM (In-charge Malkhana).	1 to 6
2	07.06.2017	Shakti Singh (Sub Inspector) was appointed as I.O.	Spot map was prepared and the information was forwarded to the senior officers and control room.	62
3	09.,06.2017	Shakti Singh (Sub Inspector)	The statement of complainant Naman Kishore Shrivastava recorded.	134 to 135
4	29.,06.2017	Shakti Singh (Sub Inspector)	The Statement of Uttam Rao Pawar	136

			recorded.	
5	19.,06.2017	Shakti Singh (Sub Inspector)	Letter written seeking information from Treasury Motimahal.	139
6	04.,08.2017	Shakti Singh (Sub Inspector)	List of missing articles was received from Treasury Motimahal.	69
7	17.,09.2017	Shakti Singh (Sub Inspector)	The statements of accused Hari Singh Kushwah were recorded.	137
8	07.,12.2017	Jitendra Mavai (Sub Inspector) was appointed as I.O.	Diary received.	In I.O. Diary
9	12.,03.2018	Jitendra Mavai (Sub Inspector)	Letter written for obtaining sample of signatures of suspect/accused.	63
10	03.,05.2018	Jitendra Mavai (Sub Inspector)	Letter sent for making available Treasury register for investigation.	64
11	21.,07.2018	Jitendra Mavai (Sub Inspector)	Letter written for Senior Treasury Officer for providing article deposit documents. Inward Treasury register of Treasury Motimahal, seized.	
12	10.,09.2018	Ramnaresh	Due of busyness in	

	to 03.,06.2019	Sharma (ASI) was appointed as I.O.	different official duties, no progress made in the investigation.	
13	01.,09.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector) was appointed as I.O.	Signatures of suspect/accused Hari Singh were obtained.	114 to 119
14	08.,09.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector)	Draft sent for handwriting expert through Superintendent of Police Gwalior.	111 to 112
15	16.,09.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector)	Latter received from State Examiner of QD with a remark that the signatures along dates, be forwarded.	122
16	20.,09.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector)	Diary perused and further action decided.	-----
17	30.,10.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector)	Diary handed over to Mr. Ramnaresh Sharma (Sub Inspector) for preparation of reply/status report.	In I.O. Diary
18	18.,12.2019	Rudra Pathak (Sub Inspector)	Went for training at Weapon and Tactics at RAPTC Indore.	In I.O. Diary
19	19.,12.2019 to 03.,07.2020	-----	No progress made due to shortage of investigation officer.	-----

20	04.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector) was appointed as I.O.	Diary received for investigation and perused the same.	In I.O. Diary
21	06.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The accused/suspect Nazir Hari Singh Kushwah , was interrogated and his signatures along with date, were obtained for sending it to the State Examiner of Questioned Documents.	138
22	07.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The draft was prepared for sending the signatures of suspect to the document Examiner.	120 to 121
23	08.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The documents in respect of information of the articles in question from Treasury Motimahal were received	105 to 106
24	08.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The questioned documents were deposited in the office of State Examiner of questioned document Bhopal.	113

25	14.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The information and search was conducted in respect of Nazir Veer Pratap Singh in relation to crime in question. However, the information was received that he died.	In I.O. Diary
26	22.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	Letter written to the Ld. CJM in respect of total 1 to 188 articles of two boxes in question, which were received by the suspect Veer Pratap Singh and Hari Singh .	101
27	29.,07.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	The Ld. CJM made available information of only 95 articles out of total 188 articles and it was informed that there was no information in respect of second box.	102 to 103
28	07.,08.2020	Nagendra Singh (Sub Inspector)	Letter again sent to Ld. CJM for making further information. Also the statements of present Nazir Uttam Rao and	153

			Naman Kishore were recorded.	
--	--	--	--	--

8. Thereafter, the respondents no.3 to 5, 10 and 11 again filed their status report on 19/10/2020 and submitted that the matter is under investigation. The handwriting expert vide its letter dated 16/9/2019 had asked for the documents containing signatures of Hari Singh Kushwah for the period prior to the period in question and the said requisite documents have been sent to the handwriting expert vide letter dated 7/7/2020. The further investigation conducted in the matter reveals that vide letter dated 7/2/2006 the CJM, Incharge Malkhana sent the articles in sealed packet No.188 for depositing in the Treasury, Motimahal, Gwalior. At the bottom of the said letter, the acknowledgment of receipt is endorsed by the Treasury *inter alia* recording that two boxes were received from the carrier Veer Pratap Singh and Hari Singh Kushwah, which is registered in the register at serial No.121 and the said acknowledgment of receipt also bears the confirmed signatures of Veer Singh and Hari Singh Kushwah. Thus, it is clear from the register that two boxes were received by Hari Singh Kushwah on 2/5/2006 and 27/6/2006. However, Veer Singh has claimed that articles received by him on 2/5/2006 and 27/6/2006 were not relating to the articles in dispute. It was also mentioned that from close scrutiny of letter dated 1/5/2006, it appears that the articles mentioned in the letter were received by the authorized person Hari Singh on 2/5/2006, however, just underneath thereto an endorsement is made that box no.121/06 was also received. It is the stand of Hari Singh Kushwah that the articles mentioned in letter dated 1/5/2006 were in box no.121/06, which is one

of the boxes deposited by him on 7/1/2006 and, therefore, the said box was received to him, which was submitted in the Court. The other box which was also deposited on 7/2/2006 bearing entry No.121/06 was deposited by Veer Singh and the said box was not received to Hari Singh. A letter dated 22/7/2020 has been sent to CJM, Incharge Malkahan to inform that box No.1 to 188 sent for being deposited in Treasury Motimahal were inclusive of article No.1245/89 (ornaments in question) or not. It was mentioned that due to covid-19 pandemic, the investigation came to a halt.

9. Thereafter, another status report was filed by the respondents no.4 and 5 on 7/11/2020. It was submitted that the enquiry officer has sent a letter to the District Court for receiving the certified copy of all the criminal cases in which item nos.83/83, 552/87, 652/95, 1480/94, 1286/96 and 911/96 were seized. The said copies are required in order to verify the fact as to whether packet no.121(1) was ever opened or not, which also contains item No.1245/89, i.e. ornaments in question. The record of the criminal case, in which item No.1245/89 was seized, was received by the Investigating Officer and it was found that item No.1245/89 was never produced before the District Court after 7/2/2006. However, it was claimed that the entire record from the District Court is still awaited. It is submitted that thereafter, Mr. Munish Rajoriya, Investigating Officer, was transferred and in his place Mr. Aatmaram Sharma, Incharge CSP Gwalior has been appointed as an enquiry officer. It is mentioned that still the relevant record of criminal case is awaited from the District Court in order to ascertain the actual person responsible for missing the ornaments. It is submitted that the ongoing investigation

can only be continued upon receiving the record from the District Court. It was further mentioned that the Investigating Officer has also taken statement of Nazir Nayan Shrivastava, who at present is posted as Nazir in the District Court and he has stated that the aforesaid items, i.e. seven in number, were never produced before the Court after 7/2/2006.

10. Thereafter, another status report has been filed in compliance of order dated 15/6/2021 and again a stand was taken that the entire record of the Trial Court has not been given. The investigation with regard to other articles, which were also kept in box No.121/1 was made from the concerning Court and the letter dated 31/12/2020 issued by the District and Sessions Judge, Gwalior was also placed on record. The statements of the witnesses were recorded. Statements of some of the employees of Treasury Office were also recorded. A query has also been put to the concerning Court to verify as to whether item No.1245/89 was ever given in charge to Shankarlal by Veerpratap or not. The audit report of the Treasury Office has been obtained and from the audit report for the year 2006-07 the details of expensive items which is maintained as per Clause 20 of the Rules, does not contain item No.121. It was claimed that item No.121 (item No.121/1) was not available in the Treasury in the audit year of 2006-07. Even in the audit report of the year 2005-2016 there is no entry of item no.121(1). It was claimed that the enquiry officer is diligently conducting the enquiry in the matter and due to non-availability of entire record, he is unable to conclude the investigation / enquiry expeditiously. Thereafter, the respondents also filed a chart of investigation done by the investigating officer from 6/10/2020 to 18/6/2021.

11. Thus, from the return filed by the respondents, it is clear that they are claiming that they are handicapped because of non-availability of entire record.

12. This Court by order dated 2/7/2020 passed the following order:-

Shri R.K. Soni, Counsel for the petitioner.

Shri MPS Raghuvanshi, Additional Advocate General for the respondents No. 1 to 5 and 7 to 11.

Shri Nakul Khedkar, Proxy Counsel on behalf of Shri Vivek Khedkar, Counsel for the respondent No. 6.

Heard through video conferencing.

It appears that the matter is being dealt with by the respondents in a most casual manner. However, counsel for the respondents No. 1 to 5 and 7 to 11 prays for two weeks time to file latest status report.

Looking to the controversy involved in the matter, two weeks time is granted to the State/respondents No. 1 to 5 and 7 to 11 to file the latest status report.

Respondents No. 1 to 5 and 7 to 11 are also directed to file their response as to why the matter may not be handed over to the CBI.

List this case in the **week commencing 20.07.2020.**

13. Thereafter, on 4/8/2020 and 6/8/2020 following orders were passed:-

Gwalior, Dated : 04/08/2020

Shri R.K. Soni, Counsel for the petitioner.

Shri Sankalp Sharma, Panel Lawyer for the State.

Shri Nakul Khedkar, Counsel for the respondent No.6/CBI.

In order to verify as to whether the police has made any sincere efforts to complete the investigation and to find out the guilty person, it is necessary to go through the complete case diary along with the diary proceedings.

It is submitted by Shri Sankalp Sharma that he is

not in possession of the case diary and, accordingly, prays for a day's time to requisition the same.

List this case on **6.8.2020**.

The State Counsel shall keep the case diary available along with the diary proceedings.

Gwalior dtd. 06/08/2020

Shri R.K.Soni, learned counsel for the petitioner.

Shri M.P.S.Raghuwanshi, learned Additional Advocate General for the State.

Shri Vivek Khedkar, learned counsel for the respondent No.6.

Case diary is available.

The counsel for the State is directed to file a detailed synopsis of the steps taken by the Investigating Officer with every detail so that this Court can consider as to whether the investigation has been done by the police sincerely or not ?

Shri Raghuwanshi prays for and is granted three days' time to prepare the synopsis.

Shri Raghuwanshi is directed to file the written synopsis by 10/08/2020 so that the office can upload the same.

List on **11/08/2020**.

14. By order dated 26/8/2020 the following observations were made:-

Shri R.K. Soni, Counsel for the petitioners.

Shri Abhishek Singh Bhadoriya, Counsel for the State.

Shri Vivek Khedkar, Counsel for the respondent No. 6.

Heard through video conferencing.

As per the directions of this Court, the State has filed the synopsis pointing out various dates on which action was taken by the Investigation Agency. From the synopsis, it appears that at least on two occasions nothing was done for months together.

Under these circumstances, this Court think it appropriate to hear the Advocate General of State of

Madhya Pradesh accordingly he is requested to appear in the matter.

The Superintendent of Police, Gwalior is also directed to remain present before this Court during the hearing of this case for assistance to the Court.

As prayed by Shri Bhadoriya, list this case on **03.09.2020**.

Office is directed to send a link to the Advocate General so that he can appear through Video Conferencing.

15. Accordingly, looking to the synopsis filed by the State, this Court thought it appropriate to hear the Advocate General of State of M.P. and accordingly, he was requested to appear.

16. On 3/9/2020 following order was passed:-

Heard through Video Conferencing.

Shri R.K. Soni, learned counsel for the petitioners.

Shri Purushaindra Kaurav, learned Advocate General along-with Shri Ankur Mody, learned Additional Advocate General for the State.

Shri Vivek Khedkar, learned counsel for the respondent No. 6.

This Court has expressed anxiety on account of the procrastinative attitude of the investigating agency in failing to complete the investigation which had commenced vide FIR bearing crime No. 290/2017. Despite elapse of more than 3 years, no progress has been made. It seems as per the statement of the learned Advocate General who has sought four weeks time to show some progress in the light of recently constituted SIT comprising of certain senior officers of the Police to conduct and supervise the investigation in question.

After perusing the material on record, the impression that is gathered by this Court is that the matter is being handled not only with laxity by the Police but the element of carelessness is quite palpable. The matter is important because it pertains to

misappropriation of a large amount of gold and silver jewellery which had been seized by the Police in connection with some offence and was preserved in the Maalkhana.

In this matter, the petitioners are daughter & sons of the deceased Mr. Agarwal, the alleged owner of the seized jewellery, who had died during the commission of the offence of dacoity with murder. The anxiety expressed by the petitioners is quite genuine and understandable.

It is made clear that in case no progress is shown by the State on the next date of hearing, this Court may in it's discretion consider the prayer for transferring the investigation to the CBI which if happens should be a cause for embarrassment for the State Police.

List this case in the **first week of October, 2020**.

17. Thereafter, on 8/10/2020 the following order was passed:-

Shri R.K.Soni, learned counsel for the petitioners.

Shri Ankur Modi, learned Additional Advocate General for the State.

Shri Praveen Newaskar, learned Assistant Solicitor General for the respondent No.6.

Shri Munish Rajoriya, Investigating Officer is present in the office of Shri Ankur Modi and has joined Court proceedings through video conferencing.

Shri R.K.Soni by referring to the report dated 12/03/2018, which was filed alongwith compliance report dated 09/09/2019, submitted that the Investigating Officer by the aforesaid report had informed the CJM, Gwalior that although the articles in question were deposited in the Treasury on 07/02/2006 but they were returned back to Nazir Hari Singh Kushwah on 02/05/2006. It is submitted that now the Investigating Officer has taken a somersault and has submitted a report that the box No.121/1, which was containing the articles in question was never taken out of the Treasury Moti Mahal, Gwalior and, therefore, the

officers of Treasury are responsible.

In reply, it is submitted by the Additional Advocate General that the report dated 12/03/2018 was tentative.

Heard the learned Counsel for the Parties.

Since, investigation is going on, therefore, unless and until a charge-sheet is filed, it cannot be said that the Investigating Officer has formed his final opinion as required under Section 173 of Cr.P.C. Therefore, all the reports, which are being filed by the Investigating Officer are tentative in nature.

During the course of arguments, Shri Rajoriya submitted that as per the record of Malkhana, District Court Gwalior, box No.121/1, which was deposited by Veer Pratap Singh, Nazir in the treasury, was containing the articles of seven different criminal cases, including the articles in question. It is submitted that the SIT is trying to obtain the record of the Sessions Trial concerning the articles in question.

It is submitted by Shri Rajoriya that no acknowledgment with regard to the return of box No.121/1 is available with the Treasury, therefore, he has tentatively come to a conclusion that box No.121/1 was never returned back to Malkhana, District Court Gwalior. However, it is submitted by Shri Rajoriya that although the possibility of returning the box without taking acknowledgment by the Treasury is bleak but still it may also happen.

Accordingly, it is submitted that in order to rule out every possible angle, he would take out the record of all the seven criminal cases and would find out as to whether the articles, which were seized in their respective cases were ever produced before the Trial Court after 07/02/2006 or not ? If any article is produced in any criminal case after 07/02/2006, then it will be clear that either the Nazir had never kept these articles in box No.121/1 or had taken the box No.121/1 back from the Treasury without giving any acknowledgment.

In this case, this Court is not supervising the investigation. This Court is simply monitoring the investigation in order to avoid further delay. The respondents have filed a compliance report dated 06/10/2020, from which it appears that now investigation is being done on day to day basis. Accordingly, at present there is no reason for this Court to transfer the case to any other Investigating Agency.

It is further submitted by Shri Rajoriya that since he would be required to obtain the certified copies of several records from the Distt. Court, therefore, he may be granted a month's time to obtain the same as well as to go through the same. It is further submitted that he would also conduct the investigation from all other possible angles.

The prayer made by Shri Rajoriya appears to be reasonable. Accordingly, a month's time is granted to Shri Rajoriya as prayed by him.

Shri Rajoriya is directed to file the status report latest by 07/11/2020.

List this case **on 09/11/2020.**

Shri Rajoriya is directed to join the Court proceedings through video conferencing alongwith the diary.

18. On 15/6/2021 time was granted to file the status report on the affidavit of Superintendent of Police, Gwalior, accordingly, following affidavit was filed:-

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA
PRADESH BENCH AT GWALIOR**

W.P. No. 7336/2018

PETITIONER: Ruchi Agrawal

VERSUS

RESPONDENTS : State of M.P. and Others

**STATUS REPORT OF INVESTIGATION IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 15.06.2021**

The humble respondents most respectfully submits as under :-

1. That, in the present case at hand the respondents on earlier occasion i.e. on 07.11.2020 has filed the status report of investigation wherein it was submitted that the respondents has appointed specially for conducting enquiry into the matter. Further it was submitted that the appointed enquiry officer has applied for the certified copies of all the criminal cases of which the items were seized and place in box No. 121 (1) along with the articles of the petitioner.
2. That, it was stated in the last status report that in box No. 121 (1) six other items related to other crime numbers were also placed and secured. The item No. 1245 / 89 belongs to the petitioner as per the record and item No. 83/ 83, 552/87, 652/95, 1480/94, 1286/96 and 911/96 are all in the box No. 121 (1).
3. That, the record which was made available by the concerning tribunal court was from 01.07.2007 and not from the date of inception of the criminal case.
4. That, the respondents have vide application dated 01.03.2021 has applied for the entire record and order sheet of the criminal case and same is still awaited. Copy of the application dated 01.03.2021 is annexed here with and marked as **Annexure -A**.
5. That, it is pertinent to note that the respondents have also reminded the concerning court for providing the requisite record of the case which was pending since 01.03.2021. It is relevant to mention herein that due on going pandemic covid-19 lockdown and due to closure of courts the same was not received till date.
6. That, however upon approaching the concerning court, assurance was given that the record of the case will be make available within a weeks time.
7. That, during the period from November 2020, the respondents have conducted enquiry with regard to the other item numbers which were in the box 121 (1) from the concerning court. In response to which on 31.12.2020 the concerning court has given the information. The copy of the letter dated 31.12.2020 issued by District and Session Judge Gwalior is annexed here with and marked as **Annexure -B**.
8. That, on 20.11.2020 statements of Smt. Vimla W/o late Shri Kashiram has been taken by the enquiry officer. It is relevant to mention herein that

she was the complainant in the criminal case in which item number 1480/94 was seized. Copy of the statement is annexed here with and marked as **Annexure -C**.

9. That, on 21.11.2020 statement of Atibal Singh Bhadoriya S/o Late Shri Hakim Singh has been taken by the enquiry officer who is complainant who is criminal case in which item number 911/96 was seized. Copy of the statement is annexed here with and marked as **Annexure - D**.

10. That, subsequently the statement of employees treasury officers who were appointed at the relevant point of time were also taken by the enquiry officer on 08.12.2020, 18.12.2020, 28.02.2021, 26.02.2021, 18.02.2021, 05.02.2021, 18.06.2021. Copy of the statements are annexed here with and marked as **Annexure -E**.

11. That, on 18.06.2021 the enquiry officer has also sought the documents which are not yet received from the district court Gwalior. Copy of the letter dated 18.06.2021 is annexed here with and marked as **Annexure -F**.

12. That, the documents / record of the criminal case in question from 1990 to 2006 which still not received despite of the fact that an application for obtaining the requisite record was filed on 01.03.2021 before the concerning court.

13. That, on 07.11.2007 Nazir Shankar Lal (deceased) has taken charge from Nazir Veerpratap (deceased). As per the record on the date of taking charge the Shankarlal has taken charge of items from serial No. 1 to 5882. Therefore, the said list of items is also asked from the concerning court in order to verify whether item No. 1245/89 was given in charge to Shankar Lal or not by the Veerpratap.

14. That, the respondent is also placing on record the datewise investigation status report prepared by the enquiry officer who was specially appointed in this regard. Copy of the status report is annexed here with and marked as **Annexure G**.

15. That, the enquiry officer has also obtained the audit report of treasury department for the relevant year 2006 - 2007 dated 07.12.2006 which was issued by the Joint Director Treasury, Accounting and Pension Department - Gwalior and Chambal Region. Copy of the audit report dated 07.12.2006 is annexed here with and marked as **Annexure H**.

16. That, as per the said audit report for the for the year 2006-2007 clause 20 provides the details of expensive items wherein item No. 121 is not available. Even on perusal of the entire audit report item No. 121 does not found its place under any clause of the audit report. Meaning

thereby item No. 121 or item no 121 (1) was not available in the treasury in the audit year 2006-2007.

17. That, it is relevant to mention herein that the enquiry officer is even having the audit reports of the treasury department from the year 2005 to 2016 and in non of the audit reports the entry with regard to Item No. 121 (1) is available. It is pertinent to submit herein that due to the Bulky record all the audit reports are not placed on record and only the relevant audit report for the year 2006-2007 is placed on record.

18. That, it is further submitted that the enquiry officer is diligently conducting the enquiry into the matter and due to non availability of all the record it is not possible to conclude the enquiry expeditiously. Further it is submitted that due to ongoing covid-19 pandemic situation and corona curfew also the enquiry is getting delayed as all the officers of the department are engaged in maintaining and controlling the current pandemic situation.

PRAYER

In the prevailing facts and circumstances it is most humbly prayed that the instant Status report in terms of order dated 15.06.2021 may kindly be taken on record in the interest of justice.

Place : Gwalior
Dated 23.6.21

Humble Respondents

Through Counsel

**IN THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA
PRADESH BENCH AT GWALIOR**

W.P. No. 7336/2018

PETITIONER: Ruchi Agrawal

VERSUS

RESPONDENTS : State of M.P. and Others

AFFIDAVIT

Name : Amit Sanghi
Father's Name : Shri D.R. Sanghi

Aged : 52 Years
 Occupation : Superintendent of Police
 Address : S.P. Office Gwalior
 Gwalior (M.P.)

I the above named deponent do hereby state on oath as under:

1. That, I am Superintendent of Police Gwalior and well conversant with the facts of the case and competent to swear this affidavit.
2. That, the instant status report is drafted under the instruction of department. I have read and understood the same.
3. That, I depose that the factual part of the status report is true to my knowledge based on the record and legal submission made therein is true and correct as per advice of counsel which I believe to be true.
4. That, the documents annexed with the status report are true copy of their respective original.

Date : 23.6.21

(Deponent)

Place : Gwalior

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from Para 1 to 4 are true to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing has been concealed therein.

Date : 23.6.21

(Deponent)

थाना पडाव जिला ग्वालियर अपराध क्रमांक 290/2017 धारा 409 ता0हि0 की अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र मां क	पर्चा क्रमांक व दिनांक	विवेचना कार्यवाही का विवरण
01	59/06.10.2020	प्रकरण सदर में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण में संबंध में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तारीख दिनांक 07.10.2020 नियत की।
02	60/07.10.2020	प्रकरण सदर में पुनः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण के संबंध में श्री अंकुर मोदी अति0 महाधिवक्ता के कार्यालय में माननीय न्यायालय को प्रकरण की प्रगति के संबंध में हालत बताये।
03	61/08.10.2020	प्रकरण सदर में पुनः माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रकरण के संबंध में श्री अंकुर मोदी अति0 महाधिवक्ता के कार्यालय में वीडियोक्रान्फिंग के माध्यम से उपस्थित हुआ। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई उपरांत आदेश पारित किया गया। आदेश की ई0मेल प्रति सामिल डायरी की। अग्रिम तारीख दिनांक 09.11.2020 नियत है। स्टेटस रिपोर्ट पेश करने हेतु दिनांक

		07.11.2020 नियत की गई है।
04	62/13.10.2020	थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्रमांक 400/19 धारा 420,464,467,468 ता0हि0 की विवेचना में हरिद्वार, ऋषिकेश से वापस आया। प्रकरण सदर की विवेचना नहीं की जा सकी। आज जिला न्यायालय जाकर नाजिर नयन श्रीवास्तव, सुनील निगम से चर्चा की एवं पूर्व में दिये गये माल नम्बरो का माल न्यायालय आया या नहीं इस संबंध में रिकार्ड देखकर प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। नाजिरो ने बताया कि वे रिकार्ड देख रहे हैं।
05	63/15.10.2020	प्रकरण सदर में जिला न्यायालय जाकर नाजिर नयन श्रीवास्तव, सुनील निगम से पूछताछ की गई एवं नाजिर वीर प्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे माल नम्बर 1245 के अलावा अन्य 06 माल प्रकरण के माल जमा होने के बाद वापिस न्यायालय आया या नहीं उस संबंध में रिकार्ड देखकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। नाजिरो ने बताया कि वे रिकार्ड देखकर बतायेंगे।
06	64/16.10.2020	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को वीर प्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे गये माल नम्बर 1245 के अलावा अन्य 06 माल के प्रकरणों की नकल प्रदान करने हेतु पत्र क्रमांक 2254/20 दिनांक 16.10.2020 लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की। प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर को वीर प्रताप एवं शंकर राव शैजदार द्वारा कोषालय में जमा किये एवं निकाले गये माल के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने तथा वर्ष 2012 से 2016 तक के कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई। प्रकरण सदर में नकल सेक्शन जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से माल नम्बर 1245 के प्रकरण नम्बर 169,170/89 की नकले प्राप्त की। नकलो का अवलोकन किया। प्रकरण की नकले सामिल डायरी की।
07	65/19.10.2020	प्रकरण सदर में कोषालय से जानकारी लेने हेतु कार्यालय से प्र0आर0 दिनेश सिंह चौहान को कोषालय मोतीमहल रवाना किया गया। कोषालय अधिकारी द्वारा बताया गया कि अभी जानकारी नहीं बनी है। शीघ्र प्रस्तुत की जावेंगी।
08	66/21.10.2020	प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर से पत्र क्रमांक 2020/1185 दिनांक 21.10.2020 के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। कोषालय से प्राप्त जानकारी का अवलोकन किया। जानकारी सामिल डायरी की।
09	67/23.10.2020	प्रकरण सदर में जिला न्यायालय ग्वालियर में पहुँचा। नाजिर नयन श्रीवास्तव से बाक्स नम्बर 01 से वीर प्रताप के माल से संबंध में पूछताछ कर कथन लिया। साक्षी नाजिर नयन श्रीवास्तव ने माल नम्बर 1245 के साथ अन्य 06 माह दिनांक 07.02.2006 से आज दिनांक तक प्राप्त न होना बताया है। कथन सामिल डायरी किया। प्रकरण सदर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय पूर्व में भेजे गये पत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अभी नकले प्रदाय किये जाने के आदेश नहीं हुये है। प्रकरण सदर में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेश से स्थानान्तरण पुलिस मुख्यालय भोपाल होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक पुअ/ग्वा/स्थापना /936/2929 दिनांक 23.10.2020 से कार्यमुक्त किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर द्वारा अपराध सदर की डायरी थाना प्रभारी पडाव श्री विवेक अष्ठाना को सुपुर्दगी में देने हेतु मौखिक निर्देश दिये है। थाना प्रभारी पडाव को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से अवगत कराते हुये अपराध सदर की विवेचना के हालत से रूबरू कराया गया है तथा बताया गया कि मामले में दिनांक 07.11.2020 को स्टेट्स रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जाना है। प्रकरण सदर की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु थाना पडाव भेजी जाती है।
10	68/28.10.2020	प्रकरण सदर की केश डायरी पूर्व विवेचक श्रीमान सीएसपी इंदरगंज श्री मुनीष राजौरिया का मध्यप्रदेश गृह विभाग के आदेश स्थानांतरण पुलिस मुख्यालय भोपाल से होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर के मौखिक

		आदेश से सीएसपी कार्यालय से प्राप्त की गई। मामले में दिनांक 07.11.20 को स्टेट्स रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जाना है प्रकरण सदर में डायरी का विस्तृत अवलोकन किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
11	69/05.11.2020	प्रकरण सदर की केस डायरी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक पुअ/ग्वा/रीडर/1/सीडी/1446(13)/2020 दिनांक 25.10.2020 के माध्यम से मुनीश राजौरिया तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक इन्दरगज के स्थानान्तरण होने से अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई। केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण मोतीमहल ट्रेजरी से माननीय न्यायालय से जमा कराये गये माल नम्बर 1245/89 के खुर्द-बुर्द होने पर प्रकरण सदर कायम किया गया है। प्रकरण सदर की विवेचना के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दिनांक 07.11.2020 को स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना है। शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर नियत दिनांक को स्टेट्स रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जावेगी।
12	70/07.11.2020	प्रकरण सदर में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लूपी नम्बर 7336/2018 रूचि अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में अपराध सदर की विवेचना की स्टेट्स रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत स्टेट्स रिपोर्ट की प्रति सामिल डायरी की। प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को ट्रेजरी मोतीमहल में बाक्स नम्बर 01 में रखें 1245/89 माल के साथ अन्य 06 माल के न्यायालय प्रकरण की नकले प्रदान करने हेतु दिनांक 16.10.2020 को पत्र लेख किया गया था अभी तक 06 माल के प्रकरणों की न्यायालय से नकले अप्राप्त है। पुनः श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को नकले प्रदान करने हेतु पत्र लेख किया। पत्र की ओसी शामिल डायरी की।
13	71/09.11.2020	प्रकरण सदर में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक डब्लूपी नम्बर 7336/2018 रूचि अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में वीडियों कोन्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित आया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.11.2020 को प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। नियत दिनांक को प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रस्तुत की जावेगी।
14	72/11.11.2020	प्रकरण सदर में ट्रेजरी मोतीमहल में वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में माल नम्बर 1245/89 के अलावा अन्य 06 माल ओर भी रखे होना बताये गये है। उन मालों को प्रकरण के विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा तलब किया गया या नहीं इस संबंध में जानकारी माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय से चाही गई है जो अभी तक अप्राप्त है। उक्त मामलों के फरियादिया को तलब करने हेतु संबंधित थानों को पत्र लेख किया गया जिसमें उक्त मामलों के फरियादिया से जानकारी ली जा सकें कि उन्हें उनके प्रकरणों में माननीय न्यायालय तलब किया गया या उन्हें माल सुपुदर्गी में मिल चुका है या नहीं। फरियादिया के उपस्थित होने पर जानकारी ली जावेगी।
15	73/17.11.2020	प्रकरण सदर में दीपावली के अवकाश के कारण न्यायालय बंद होने से नाजिरों से पूछताछ कार्यवाही एवं नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे हुये 1224/89 माल के साथ रखे हुये अन्य 06 माल की न्यायालयों से नकले प्राप्त नहीं हो सकी। जिला न्यायालय पहुँचकर 06 माल जिन न्यायालयों के थे उन न्यायालय से उक्त प्रकरण की नकले चाही जाने हेतु नाजिर किशोर श्रीवास्तव से चर्चा की गई तो बताया कि उक्त मामले की नकले प्राप्त करने हेतु न्यायालय का नाम जिसमें प्रकरण विचाराधीन था तथा निर्णय दिनांक के बाद ही नकले प्रदान की जा सकती है। जिला अभियोजन कार्यालय दायरा रजिस्टर से उक्त प्रकरण के निर्णय दिनांक एवं न्यायालय की जानकारी प्राप्त कर नकले प्राप्त की जावेगी। प्रकरण सदर में कोषालय अभिलेख के अनुसार सरल क्रमांक 121 पर दो बाक्स की प्रवृष्टि स्व0 श्री0 डी0 आर0 पुरन्दरे दृढकक्ष प्रभारी द्वारा की गई है

		जिसे तत्समय दिनेश बाथम कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा दिनांक 02.05.2006 को बाक्स की वापसी की प्रविष्टि माननीय न्यायालय के पत्र पर स्व0 श्री0 के0 पुरन्दरे दृढकक्ष प्रभारी द्वारा की गई है तथा कोषालय पंजी पर बाक्स क्रमांक 01 देने की प्रवृष्टि राकेश श्रीवास्तव सहायक दृढकक्ष प्रभारी द्वारा की गई है। जिसे तत्समय कोषालय अधिकारी श्री जी0 के0 भार्गव द्वारा प्रमाणित की गई है। दिनांक 27.06.2006 को दूसरा बाँक्स स्व0 श्री0 डी0व्ही0 पुरन्दरे दृढकक्ष प्रभारी द्वारा दिया गया है जिसे तत्समय श्री पी0पी0 श्रीवास्तव कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। तत्कालीन कोषालय अधिकारी श्री डी0आर0 पुरन्दरे की मृत्यु हो चुकी है। कोषालय अधिकारी श्री दिनेश बाथम एवं श्री जी0 के0 भार्गव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। राकेश श्रीवास्तव कोषालय कलेक्ट्रेट को तल्ब कर पूछताछ की जावेगी।
16	74 / 20.11.2020	प्रकरण सदर की केस डायरी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक पुअ/ग्वा/कार्यविभा0/909/20 दिनांक 19.11.2020 के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक इंदरगंज पर्यवेक्षण प्राप्त होने से केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई केस डायरी का अध्ययन किया। प्रकरण सदर में नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में माल नम्बर 1245/89 के साथ जो छः माल रखे होना बताये गये थे उनके फरियादियों को पूछताछ हेतु उपस्थित करने हेतु थाना प्रभारी चिनोर गिजार्ग, उटीला, जनकगंज, मुरार एवं झांसीरोड का पत्र लेख किया गया था। थाना जनकगंज के अपराध क्रमांक 199/87 धारा 302, 365, 397 ता0हि का माल भी रखा था। उक्त प्रकरण की फरियादी काशीराम की पत्नि विमला पत्नी काशीराम उम्र 63 साल निवासी गोल पहाडिया को तलब कर लूटे गये माल की वापसी के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि उनके पति काशीराम का सन् 1995 में देहांत हो चुका है। उनकी सास कोशाबाई की एक जोड़ चांदी की कडिया, एक जोड़ चांदी के चुरा एवं एक जोड़ सोने के फूल आरोपीगण ने हत्या कर लूटे थे। उक्त माल पुलिस ने बरामद कर न्यायालय में जमा करा दिया था वह माल उन्हें अभी तक नहीं मिला है। न्यायालय ने माल वापिस करने हेतु उन्हें नहीं बुलाया है। कथन सामिल डायरी किये। इसी प्रकार थाने झांसीरोड से अपराध क्रमांक 46/96 के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई जो वाहनचोरी से संबंधित है नाजिर रजिस्टर में लिखने में गलती हो सकती है। अपराध क्रमांक 46/90 देखने हेतु लेखक को निर्देशित किया गया। शेष 04 माल थाना उटीला, थाना चिनोर, थाना गिजार्ग एवं थाना मुरार से संबंधित थे जिनके थाना प्रभारियों से चर्चा कर शीघ्रतिशीघ्र उक्त केस के फरियादिया को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। फरियादियों को उपस्थित होने पर माल वापसी के संबंध में पूछताछ की जावेगी।
17	75 / 21.11.2020	प्रकरण सदर में थाना गिजार्ग के अपराध क्रमांक 38/96 धारा 302,382 ता0हि की जानकारी प्राप्त की। उक्त मामले के फरियादी की मृत्यु होना तथा फरियादी की कोई औलाद न होना बताया है। पत्र सामिल डायरी किया। थाना उटीला से अपराध क्रमांक 54/1995 की जानकारी प्राप्त की तो उक्त अपराध धारा 279, 337 ता0हि दर्ज है। थाना मुरार से अपराध क्रमांक 276/92 धारा 380 ता0हि की नकल जरायम प्राप्त की। प्र0आर0 लेखक को फरियादी को मेरे कार्यालय पडाव में उपस्थित करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण सदर में थाना झांसीरोड के अपराध क्रमांक 46/90 धारा 458, 382, 395 ता0हि के फरियादी अतिबल सिंह भदौरिया पुत्र स्व0 हाकिम सिंह निवासी गड्डा वाला मौहल्ला चन्द्रबदनी नाका झांसीरोड ग्वालियर कार्यालय उपस्थित आये। उनसे प्रकरण सदर के लूटे गये माल वापसी से संबंध में पूछा तो बताया कि उन्हें उनका लूटा गया माल न्यायालय से वापस नहीं मिला है। माल सुपुदर्मी में देने के लिये उन्हें न्यायालय ने नहीं बुलाया है। कथन सामिल डायरी किया।
18	76 / 23.11.2020	प्रकरण सदर में थाना प्रभारी चिनोर के अपराध क्रमांक 83/83 एवं थाना मुरार के अपराध क्रमांक 276/92 के फरियादिया को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया

		गया। फरियादिया के उपस्थित होने पर उनसे प्रकरण में चोरी गये माल वापसी के संबंध में पूछताछ की जावेगी।
19	77/24.11.2020	प्रकरण सदर में थाना चीनोर के अपराध क्रमांक 82/83 धारा 392 ता0हि0 में फरियादी राधेलाल पाण्डेय पुत्र सुदामाप्रसाद उम्र 45 साल निवासी भौरी थाना चीनोर कार्यालय उपस्थित आया। बताया कि उसके दादाजी की बंदूक चोरी चली गयी थी उन्हें एक साल बाद मिल गई थी। प्रकरण में केवल बंदूक चोरी गई थी सोनेचांदी के जेवर चोरी नहीं गये थे। नाजिर वीरप्रताप के रजिस्टर में प्रकरण क्रमांक 83/83 लेख है। नाजिर वीरप्रताप के रजिस्टर में उक्त अपराध धारा 395, 397 ता0हि0 से संबंधित होना लेख है। थाना प्रभारी चीनोर को संबंधित अपराध की सही जानकारी प्रदाय करने हेतु पुनः निर्देशित किया।
20	78/25.11.2020	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला ग्वालियर को रिकार्ड की प्रमाणित जानकारी प्रदान करने हेतु पत्र कार्यालय से पत्र क्रमांक 2586/2020 दिनांक 25.22.2020 लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की। पूर्व में भी कई बार रिकार्ड की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किये गये हैं किन्तु अभी तक प्रकरण से संबंधित रिकार्ड माननीय न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है। रिकार्ड प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
21	79/02.12.2020	प्रकरण सदर में माननीय उच्च न्यायालय खण्ठपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक 7336/2020 रुचिका अग्रवाल विरुद्ध शासन की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण रेगुलर बेंच में सुनवाई हेतु रखा जाना आदेशित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2020 को पारित आदेश की प्रति सामिल डायरी की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर के कार्यविभाजन आदेश क्रमांक पुअ/ग्वा./पीए/909-ए/20 दिनांक 02.12.2020 द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक इन्दरगंज का पर्यवेक्षण कार्य श्री नागेन्द्र सिंह सिकरवार नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को सुपुर्द किये जाने से केस डायरी रीडर नपुअ इन्दरगंज के सुपुर्द की जाती है।
22	80/03.12.2020	श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर के कार्यविभाजन आदेश क्रमांक पुअ/ग्वा./पीए/909-ए/20 दिनांक 02.12.2020 द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक इन्दरगंज का पर्यवेक्षण प्राप्त होने से अपराध सदर की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई। डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी से साथ एफआईआर माननीय श्री आर0पी0मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर का थाना प्रभारी पडाव को प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु पत्र दिनांक 06.06.2017 मय एनेकजर 01 लगायत 07 नक्शा मोका, जप्ती पत्रक दिनांक 11.09.2018 दिनांक 06.07.20 माननीय सीजेएम एवं नाजिरों की तैनीती की जानकारी, कोषालय से प्राप्त जानकारियों राजकीय विश्वादाग्रस्त दस्तावेज प्रलेख को भेजा गया ड्राफ्ट माननीय न्यायालय द्वारा सम्पादित जांच के दौरान लिये गये कथनों की छायाप्रतियां, कथन धारा 161 नयन श्रीवास्तव, उत्तमराव पवार, संदेही हरी सिंह अतिबल सिंह भदौरिया, श्रीमती विमला शाक्य, मुद्देमाल 1245/89 के संबंध में माननीय श्री सचिन शर्मा प्रभारी मालखाना की प्रमाणित जांच रिपोर्ट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को कोषालय में जमा किये गये माल की जानकारी प्रदान करने हेतु दिये गये पत्राचार नाजिर सुशील कुमार निगम, उत्तमराव पवार, सदीव दुबे द्वारा मालखाना प्रभारी को दिये गये स्पष्टीकरण एवं माल सूचियों की छायाप्रतियां, कोषालय मोतीमहल में माल जमा एवं वापिस किये जाने वाले रजिस्टर की छायाप्रतियां एवं न्यायालय से माल वापसी के संबंध में पत्राचार की प्रमाणित छायाप्रति केस डायरी के साथ संलग्न है। उक्त मामलों में याचिकाकर्ता रुचि अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ठपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक डबलूपी/7336/18 प्रस्तुत की गई है जिसमें विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट पूर्व विवेचक श्री मुनीश राजौरिया एवं श्री आत्माराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई है। मामले में अंतिम सुनवाई दिनांक 25.11.2020 को माननीय न्यायालय में हुई है जिसमें रिगुलर कोर्ट खुलने पर स्टेट्स

		रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। केस डायरी अध्ययन में रखी गई। आइन्दा विवेचना कार्यवाही की जावेगी।
3	81/04.12.2020	दिनांक 07.02.2006 को प्रभारी अधिकारी मालखाना द्वारा माल नम्बर 188 कोषालय जमा करने हेतु नाजिर वीर प्रताप एवं नाजिर हरी सिंह को कोषालय मोतीमहल भेजा गया था। नाजिर वीर प्रताप का बाक्स नम्बर 01 ए व नाजिर हरी सिंह का बाक्स नम्बर 02 में उक्त 188 माल रखे हुये थे। नाजिर वीर प्रताप का बाक्स नम्बर 01 गायब होने के संबंध में अपराध में पंजीबद्ध होकर विवेचना की जा रही है। कौन से बाक्स में कौन से केस का माल था यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की। प्रकरण सदर में श्री राकेश श्रीवास्तव तत्कालीन सहायक वर्ग-2 कोषालय मोतीमहल हाल कोषालय कलेक्ट्रेट ग्वालियर को पूछताछ हेतु धारा 160 जा0फौ0 के तहत एवं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मोतीमहल ग्वालियर को कोषालय माल नम्बर 121/2006 की जानकारी लेकर उपस्थित होने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 के तहत सूचना पत्र जारी किया गया। उपस्थित होने पर बाक्स नम्बर 01 के संबंध में पूछताछ की जावेगी।
24	82/08.12.2020	प्रकरण सदर में तलबशुदा साक्षी राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री रामबाबू श्रीवास्तव तत्कालीन सहायक खंजाची कोषालय मोतीमहल ग्वालियर हाल जिला कोषालय गोरखी न्यू कलेक्ट्रेट उम्र 57 साल निवासी 1 ए रिवरव्यू कॉलोनी मुरार कार्यालय उपस्थित हुआ। साक्षी से प्रकरण सदर के संबंध में प्रश्नउत्तरी पूछताछ की जाकर कथन लिया गया। घटना की जानकारी न होना बताया। कथन सामिल डायरी किया। साक्षी से आइन्दा पुनः पूछताछ की जावेगी।
25	83/18.12.2020	प्रकरण सदर में तलबशुदा साक्षी दिनेश बाथम पुत्र स्व0 भूरा बाथम उम्र 66 साल निवासी 38 दुष्यंत नगर थाटीपुर मुरार ग्वालियर उपस्थित आये। साक्षी से प्रकरण सदर के संबंध में प्रश्नउत्तरी पूछताछ की जाकर कथन लिया गया। घटना की जानकारी न होना बताया। कथन सामिल डायरी किया। साक्षी से आइन्दा पुनः पूछताछ की जावेगी।
26	84/22.12.2020	प्रकरण में सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से प्रकरण की जानकारी चाई जिसपर पत्र क्रमांक 6893/20 दिनांक 15.12.2020 प्राप्त हुआ जिसमें चालान किस न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा दिनांक की जानकारी दिये जाने के बाद ही प्रकरण की खोज की जानकारी दिया जाना लेख किया गया है। पत्र सामिल डायरी किया।
27	85/02.1.21	प्रकरण सदर में नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे गये 06 माल जिन न्यायालय के थे उन न्यायालय से प्रकरण की जानकारी प्रदाय किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया था। उक्त 06 माल की जानकारी माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय से पत्र क्रमांक 7304/20 दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी का अवलोकन किया। जानकारी सामिल डायरी की।
28	86/06.01.21	प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर को पत्र लेख कर वर्ष 2006 से 2016 तक संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर, दिनांक 2006 से दिनांक 2016 तक माननीय न्यायालय द्वारा कोषालय मोतीमहल में बहुमूल्य सम्पत्तियों के बाक्स जमा करने हेतु दिये गये आदेश, माल जमा करने के उपरांत दी गई रशीद, तथा माननीय न्यायालय द्वारा वापसी मंगाये गये माल के संबंध में कोषालय को प्राप्त आदेश की जानकारी, वर्ष 2006 से 2021 तक बहुमूल्य सम्पत्तियों की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजने की जानकारी, तथा 2006 से 2016 तक बहुमूल्य सम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की जानकारी एवं बहुमूल्य सम्पत्तियों के बाक्स की प्राप्ति एवं वापसी की डाटा की जानकारी कोषालय मोतीमहल से प्राप्त हुई। प्राप्त जानकारी का अवलोकन किया। जानकारी सामिल डायरी की।

29	87 / 13.01.21	<p>प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर माननीय न्यायालय से जमा कराये गये बाक्स नम्बर 01 व 02 में रखे गये माल की सूची की संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को पत्र लेख किया गया था। उक्त पत्र के तारतम्य में जानकारी पत्र क्रमांक 251/21 दिनांक 12.01.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई। जानकारी का अवलोकन किया। प्राप्त जानकारी में लेख है कि मालखाना अनुभाग में दिनांक 07.02.2006 को जमा कराये गये बाक्सों में रखी गयी सम्पत्तियों की सूचियां एवं कोषालय में बाँक्स जमा करने संबंधी नोटशीट वर्तमान में मालखाने में उपलब्ध नहीं है और न ही वर्तमान नाजिरों की प्रभारी में प्राप्त हुई है। नाजिर वीरप्रताप एवं नाजिर हरी सिंह के बाक्स में रखे गये माल की माल पंजी के आगे लगी टीप के अनुसार 07 सम्पत्ति वीरप्रताप के बाक्स में एवं 190 सम्पत्ति हरी सिंह कुशवाह के बाक्स में रखी होना दर्शत हुआ है। जानकारी सामिल डायरी की। प्रकरण सदर में नाजिर वीरप्रताप के विरुद्ध माल सुपुदगी में न दिये जाने के संबंध में अनुमानित राशि 16,30,541.80 रुपये का प्रभार न सौपकर गबन करने एवं शासन को हानि संबंधी आदेश माननीय श्री ए0के0मिश्रा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 102/09 दिनांक 28.02.2009 को पारित किया गया है। आदेश की छायाप्रति सामिल डायरी की। नाजिर वीरप्रताप के विरुद्ध सम्पादित विभागीय जांच संबंधी दस्तावेज की छायाप्रतियां प्राप्त कर सामिल डायरी की जावेंगी।</p>
30	88 / 20.01.21	<p>प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को नाजिर वीरप्रताप के विरुद्ध सम्पादित विभागीय जांच के प्रमाणित दस्तावेज प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।</p>
31	89 / 25.01.21	<p>प्रकरण सदर में नाजिर शंकरलाल सेजवार के विरुद्ध सम्पादित विभागीय जांच एवं पेंशन आदि प्रकरण के संबंध में जानकारी प्रदाय करने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को स्मरण पत्र लेख किया गया।</p>
32	90 / 30.01.21	<p>प्रकरण सदर में नाजिर वीरप्रताप का चार्ज लेने वाले नाजिर विष्णुकुमार चतुर्वेदी, नाजिर नयन श्रीवास्तव को पूछताछ हेतु उपस्थित होने के संबंध में माननीय सीजेएम महोदय ग्वालियर को पत्र लेख किया गया। कोषालय के कर्मचारी गिरार्ज गुर्जर एवं राकेश श्रीवास्तव को पूछताछ हेतु तलब किया गया। आने पर पूछताछ कर साक्ष्य संकलित किये जावेंगे।</p>
33	91 / 04.02.21	<p>प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से नाजिर वीरप्रताप एवं नाजिर शंकरलाल शैजवार एवं नाजिर हरी सिंह के संबंध में चाही गई जानकारी पत्र क्रमांक 968 दिनांक 04.02.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई। जानकारी का अवलोकन किया। प्राप्त जानकारी के अवलोकन से पाया कि मुद्देमाल 1245/89 को कोषालय मोतीमहल जमा करने संबंधी कोई आडरशीट लेख नहीं की गई है। नाजिर वीरप्रताप के रजिस्टर में दर्ज टीप के आधार पर यह माना जा रहा है कि उक्त 07 माल नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे थे। प्रकरण सदर में नाजिरों के वेतन एवं पेंशन आदि के संबंध में जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय से जरिये पत्र 967 दिनांक 04.02.2021 के द्वारा प्राप्त हुई। जानकारी सामिल डायरी की। प्रकरण सदर में नाजिर शंकरलाल शैजवार, नाजिर वीरप्रताप एवं नाजिर हरी सिंह को माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पद दिये गये दण्डादेश प्रतियां प्राप्त हुई। पत्र के साथ नाजिरों को दिये गये दण्डादेश सम्पूर्ण नस्ती की प्रतियां नहीं हुई है जो प्राप्त की जावेगी। नाजिर वीरप्रताप पर गबन सिद्ध होकर उसपर 1630541 रुपये वसूली आदेश माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर श्री ए0के0मिश्रा द्वारा दिनांक 28.02.2009 को पारित किया गया है। इसी प्रकार नाजिर शंकरलाल शैजवार द्वारा बिना न्यायालय के अनुमति के दिनांक 06.02.2014 को कार्यालयीन समय पश्चात घर जाते समय जिला न्यायालय परिसर ग्वालियर से सायंकाल 07 बजे तैयार पंचनामा अनुसार शासकीय कागजात, दस्तावेज एवं नस्तियों से भरे</p>

		हुये तीन बस्ते बिना अनुमति ले जाना पाये जाने पर विभागीय जांच क्रमांक 17/2014 सम्पादित की गई थी जिसमें नाजिर शंकरलाल की वेतनवृद्धि रोके जाने के दण्डादेश पारित किया गया है। उक्त दण्डादेश की सम्पूर्ण नस्ती प्राप्त की जावेंगी।
34	92/05.02.21	प्रकरण सदर में तलबशुदा साक्षी गिरार्ज सिंह गुर्जर पुत्र स्व0 श्री केशव सिंह उम्र 33 साल निवासी ग्राम महाराजपुरा सहायक ग्रेड-3 कोषालय मोतीमहल ग्वालियर एवं सुभाष अहिरवार पुत्र स्व0 श्री धनीराम अहिरवार उम्र 58 साल निवासी न्यू कॉलोनी नम्बर 02 मकान नम्बर 91 बिरलानगर ग्वालियर उपस्थित आये जिनसे प्रकरण सदर में पृथक-पृथक पूछताछ की तो नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 के खुर्द-बुर्द होने से संबंध में कोई जानकारी न होना तथा नाजिर नयनश्रीवास्तव द्वारा पूर्व मनमुटाव के कारण 2016 में बाक्स नम्बर 01 कोषालय मोतीमहल में देखने संबंधी बात बताई। साक्षी सुभाष अहिरवार द्वारा नाजिर नयनश्रीवास्तव द्वारा दिनांक 28.09.2016 को मूल अभिलेख से मिलाकर जानकारी प्राप्त की जाना संबंधी कोषालय के पत्र की छायाप्रति, दृणकक्ष में बाक्स नम्बर 121 के रखे होने संबंध 2006 में लेख ऑडिट के संबंध में स्पष्टीकरण संबंधी पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की जो सामिल डायरी की गई। उक्त पत्रों की तस्दीक की जावेंगी।
35	93/07.02.21	प्रकरण सदर में नाजिर वीरप्रताप के दिनांक 22.03.2006 को मालखाना नाजिर से स्थानान्तरण होने के बाद नाजिर विष्णु कुमारी चतुर्वेदी सेवानिवृत्त को नाजिर वीरप्रताप के स्थान पर नाजिर का कार्य किया है। उनके नाजिर वीरप्रताप द्वारा 26 माल सुपुदगी में नहीं दिये बाबत विभागीय जांच के दौरान बताया गया है। उक्त 26 माल की सूची प्रदाय करने हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर को पत्र लेख किया है कि अभी तक उक्त 26 माल की सूची प्राप्त नहीं हुई है। 26 माल की सूची प्राप्त की जावेंगी तथा नाजिर विष्णु कुमार चतुर्वेदी से पूछताछ कथन लिया जावेंगा।
36	94/11.02.21	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से पत्र क्रमांक 1141 दिनांक 11.02.2021 प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन किया गया। पत्र में चाही गई जानकारी पूर्व में कार्यालय भेजी जाना बताया है। इस कार्यालय में केवल नाजिरों के दण्डादेश की प्रतियां प्राप्त हुई है दण्डादेश की सम्पूर्ण नस्ती की प्रतियों की आवश्यकता है पुनः पत्र माननीय न्यायालय जानकारी प्रदाय करने हेतु लेख किया जावेंगा।
37	95/15.02.21	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से पत्र नाजिर वीरप्रताप के मुद्देमाल रजिस्टर में टीम जिसमें 07 माल कोषालय मोतीमहल में नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 01 में रखे होने की टीप किस नाजिर द्वारा लेख की गई है कि जानकारी एवं इसी प्रकार अन्य जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की प्रकरण सदर में कोषालय अधिकारी ग्वालियर को माल नम्बर 02/08 पर किस विभाग का माल जमा होने आया था और क्या माल था उक्त माल जमा करने का आदेश एवं माल वापिस करने हेतु प्राप्त आदेश की छायाप्रति प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।
38	96/18.02.21	प्रकरण सदर में तत्कालीन कोषालय भृत्य प्रताप सिंह परिहार का कथन लिया गया। कथन में नाजिर वीरप्रताप के बाक्स नम्बर 121/1 के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया। पूछताछ कथन सामिल डायरी किया गया।
39	97/19.02.21	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर को जप्तशुदा वस्तुओं के कोषालय में जमा करने एवं निकालने की प्रकृिया एवं नियमावली की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।

40	98/25.02.21	प्रकरण सदर में जिला न्यायालय पहुँचा। नाजिर नयनश्रीवास्तव से पूछताछ की गई। नाजिर वीरप्रताप के तत्समय के ऑडरशीट एवं पत्राचार की जानकारी प्राप्त की जावेगी।
41	99/26.02.21	प्रकरण सदर में तत्कालीन सेवानिवृत्त नाजिर विष्णु कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री रामदत्त चतुर्वेदी उम्र 70 साल निवासी शंकरचौक ललितपुर कॉलोनी ग्वालियर से पूछताछ की गई तो बताया कि उन्हें नाजिर वीरप्रताप द्वारा कोई चार्ज नहीं दिया गया था। नाजिर वीरप्रताप ने लंबित मुद्देमाल की सूची तैयार नहीं की थी इसलिये चार्ज नहीं हुआ था। उन्हें मुद्देमाल नम्बर 121/89 की जानकारी नहीं है। कथन सामिल डायरी किया।
42	100/28.02.21	प्रकरण सदर में तलबशुद साक्षी प्रमोद सक्सेना पुत्र बटेश्वर दयाल सक्सेना उम्र 55 साल निवासी 129 विनयनगर सेक्टर नम्बर 04 ग्वालियर से प्रकरण सदर के संबंध में पूछताछ की तो बताया कि दिनांक 07.02.2006 को न्यायालय से जमा दो बाक्स नाजिर हरी सिंह द्वारा ले जाये गये है। कोषालय से उक्त जानकारी पूर्व में ही दी जा चुकी है। बाक्स कोषालय से गायब नहीं होना बताया। साक्षी का धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस तामील कराया गया। कथन सामिल डायरी किया गया। तत्कालीन कोषालय अधिकारी पी0पी0श्रीवास्तव, जी0के0 भार्गव के नोटिस तामील नहीं हो सके जिन्हें पुनः तलब किया जावेगा। प्रकरण सदर में राकेश कुमार श्रीवास्तव, सुभाष अहिरवार एवं हरी सिंह कुशवाह की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रदाय करने हेतु संबंधित वार्ड ऑफिसर को पत्र भेजा गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।
43	101/02.03.21	प्रकरण सदर में जिला न्यायालय पहुँचा। नाजिर नयनश्रीवास्तव से नाजिर वीरप्रताप के माल रजिस्टर के संबंध में जानकारी ली। माल नम्बर 1245/89 के संबंध में नकल शाखा को कोर्ट की आर्डरशीट एवं चालानी प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। नकल शाखा से कोर्ट की आर्डरशीट एवं चालान की नकले प्राप्त की जावेगी।
44	102/06.03.21	प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर से पत्र क्रमांक दृढकक्ष/2021/274 दिनांक 06.03.2021 प्राप्त हुआ। कोषालय से प्राप्त जानकारी का अवलोकन किया गया। जानकारी सामिल डायरी की गई।
45	103/23.03.21	प्रकरण सदर की केस डायरी नगर पुलिस अधीक्षक इन्दरगंज का प्रभार प्राप्त होने से अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त हुई। डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के साथ एफआईआर, माननीय श्री आर0पी0मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर का थाना प्रभारी पडाव को प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु पत्र दिनांक 06.06.2017 मय एनेक्चर 01 लगायत 07, नक्शा मौका, जप्ती पत्रक दिनांक 11.09.2018, दिनांक 06.07.2020, माननीय सीजेएम एवं नाजिरों की तैनाती की जानकारी, कोषालय से प्राप्त जानकारियों, राजकीय, विश्वादाग्रस्त दस्तावेज प्रलेख को भेजा गया ड्राफ्ट, माननीय न्यायालय द्वारा सम्पादित जांच के दौरान लिये गये कथनों की छायाप्रतियां, कथन धारा 161 नयन श्रीवास्तव, उत्तमराव पवार, संदेही हरी सिंह, अतिबल सिंह भदौरिया, श्रीमती विमला शाक्य, राकेश कुमार श्रीवास्तव, दिनेश बाथम, गिरार्ज सिंह गुर्जर, सुभाष अहिरवार, विष्णु कुमार चतुर्वेदी, प्रताप सिंह परिहार, प्रमोद सक्सेना के कथन मुद्देमाल 1245/89 के संबंध में माननीय श्री सचिन शर्मा प्रभारी मालखाना की प्रमाणित जांच रिपोर्ट, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को कोषालय में जमा किये गये माल की जानकारी प्रदान करने हेतु किये गये पत्राचार, नाजिर सुशील कुमार निगम, उत्तमराव पवार संदीव दुबे द्वारा मालखाना प्रभारी को दिये गये स्पष्टीकरण एवं माल सूचियों की छायाप्रतियां, कोषालय मोतीमहल में माल जमा एवं वापिस किये जाने वाले रजिस्टर की छायाप्रतियां एवं न्यायालय से माल वापसी के संबंध में पत्राचार की प्रमाणित छायाप्रति केस डायरी के साथ संलग्न है। उक्त मामले में याचिकाकर्ता रूचि अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्रमांक डब्लूपी/7336/18 प्रस्तुत की गई है।

		जिसमें विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट पूर्व विवेचक श्री मुनीश राजौरिया एवं श्री आत्माराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई है। मामले में माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है मामले में पूर्व में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर को एसआईटी का गठन किया गया था जिसमें से एसआईटी सदस्यों का स्थानान्तरण हो चुका है। पुनः श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्वालियर को एसआईटी गठित करने हेतु चर्चा की जावेगी। प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को पूर्व में भेजे गये पत्रों की जानकारी अपूर्ण प्राप्त हुई है। पुनः श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को पूर्ण जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया तथा मुद्देमाल 1245/89 में नकल शाखा से कोर्ट की आर्डरशीट एवं चालानी प्रपत्र की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मरण पत्र लेख किया गया। प्रकरण सदर में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ग्वालियर को कोषालय में बहुमूल्य सम्पत्ति के बाक्स सुरक्षार्थ रखे जाने एवं निकालने के संबंध में कोषालय की नियमावली की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी है।
46	104/25.03.2021	प्रकरण सदर की विवेचना हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर द्वारा पूर्व नगर पुलिस अधीक्षक इन्दरगंज श्री मुनीश राजौरिया को विवेचना अधिकारी नियुक्त कर एक टीम गठित की गई थी जिसमें थाना प्रभारी श्री ज्ञानेन्द्र बघेल, उप निरीक्षक मुकेश शर्मा एवं उप निरीक्षक नागेन्द्र सिंह भदौरिया को लगाया गया था। उप निरीक्षक ज्ञानेन्द्र बघेल थाना प्रभारी पड़ाव के पद से स्थानान्तरित होकर जा चुके हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला ग्वालियर को नवीन टीम गठित करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई। प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को मुद्देमाल 1245/89 के संबंध में 09 बिन्दुओं की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।
47	105/03.04.2021	प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ग्वालियर से जानकारी पत्र क्रमांक 2637/21 दिनांक 01.04.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई। जानकारी का अवलोकन किया। जानकारी साथ नाजिर वीरप्रताप के विरुद्ध आदेशित विभागीय जांच क्रमांक 05/07 की आर्डरशीट कथन की छायाप्रतियां संलग्न है। नाजिर वीरप्रताप के विरुद्ध गबन राशि 1622134 रुपये की वसूली के संबंध में जिला न्यायालय ग्वालियर द्वारा किया गया पत्राचार छायाप्रति, नाजिर वीरप्रताप के स्पष्टीकरण, छायाप्रति, बहुमूल्य सम्पत्ति के संबंध में नाजिर शंकरलाल का स्पष्टीकरण दिनांक 23.04.2016 नाजिर वीरप्रताप का स्पष्टीकरण छायाप्रति दिनांक 10.05.2016, दिनांक 14.04.2009 व 01.08.2018 को खोले गये बाक्स माल दिनांक 25.04.1998 की सूची छायाप्रति, नाजिर वीरप्रताप एवं शंकरलाल नाजिर द्वारा माल गुम होने के संबंध में दोषी पाये जाने संबंधी आदेश छायाप्रति संलग्न नस्ती है। माननीय न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नाजिर वीरप्रताप एवं नाजिर शंकरलाल द्वारा काफी लापरवाहीपूर्वक कार्य किया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें माल गुमने के संबंध में दोषी पाया गया है। प्राप्त जानकारी से यह भी ज्ञात हुआ है कि माननीय न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 में जप्तशुदा सम्पत्तियों के बाक्स को खोलकर माल का निरीक्षण किया गया है इस संबंध में वर्ष 2009 में जिला न्यायालय में प्रभारी अधिकारी मालखाना के पद पर श्री आर0के0 सोनी पदस्थ रहे हैं। उनसे वर्ष 2009 में किये गये जप्तशुदा माल के भौतिक सत्यापन संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय से श्री आर0पी0सोनी की वर्तमान पदस्थापना की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया जावेगा।

48	106/06.04.2021	प्रकरण सदर में संदेही हरी सिंह पुत्र स्व० रामलाल कुशवाह उम्र 70 साल निवासी नाका चन्द्रबदनी नहर वाली माता ग्वालियर से पुनः पूछताछ की गई तो खुर्द-बुर्द बाक्स नम्बर 01 के संबंध में कोई जाहिरा जानकारी न होना बताया। संदेही ने दिनांक 07.02.2006 को जिला न्यायालय से जप्तशुदा सम्पत्तियों के दो बाक्स कोषालय मोतीमहल में जमा कराना तथा समय-समय पर बाक्स नम्बर 02 जो उसके अधिपत्य का था उसमें से न्यायालय के आदेश से माल निकालना तथा बाक्स कोषालय में ही रहने की बात बताई। संदेही ने बताया कि वह कभी भी अपना बाक्स नम्बर 02 लेकर न्यायालय नहीं आया है। उसने कोषालय से बाक्स नम्बर 01 नहीं निकाला है। विस्तृत कथन सामिल डायरी किया। प्रकरण सदर में कोषालय मोतीमहल ग्वालियर में माल जमा करने एवं माल निकालने की प्रक्रिया एवं विभागीय नियमावली कोषालय पत्र क्रमांक दृढकक्ष /2021/437 दिनांक 06.04.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई। जानकारी का अवलोकन किया। जानकारी सामिल डायरी की गई।
49	107/09.04.2021	प्रकरण सदर में थाना ग्वालियर के अपराध क्रमांक 177,178/1988 जो कि माननीय संजय कुमार अग्रवाल, एडीजे न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में आर्डरशीट, चालानी प्रपत्र नकल शाखा जिला न्यायालय से आवेदन प्रस्तुत कर से चाहे गये थे जिसपर नकल शाखा द्वारा बताया गया कि डायरी काफी पुरानी तथा जीर्ण-शीर्ण हालत में है मामले में जो भी दस्तावेज की आवश्यकता हो डायरी का अवलोकन कर जानकारी दे जिससे उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां दी जा सकें। उक्त तारतम्य में सउनि सुरेन्द्र राजौरिया थाना पड़ाव को जिला न्यायालय उक्त केस डायरी के अवलोकन कर आवश्यक दस्तावेज नकल शाखा से प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। सउनि ने वापसी पर बताया कि डायरी में प्रकरण में जप्तशुदा माल माननीय न्यायालय में 1991 में सुनवाई के दौरान लाये जाने के तथ्य है। वर्ष 2000 में उक्त प्रकरण में गवाही के दौरान माल न्यायालय तलब किया गया था लेकिन माल प्राप्त न होने से गवाही नहीं हो सकी थी। वर्ष 2013 में उक्त माल सुपुदर्गी में दिये जाने के आदेश हुये है। उसके पश्चात उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही के दस्तावेज डायरी में संलग्न नहीं है। सउनि सुरेन्द्र राजौरिया द्वारा डायरी के उक्त दस्तावेज की प्रमाणित नकल प्रदाय करने हेतु नकल शाखा को पत्र दिया गया। उक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर उनका अवलोकन किय जावेगा।
50	108/10.04.2021	प्रकरण सदर में कोषालय के पूर्व अधिकारीगण श्री रघुनाथ सिंह चौहान कोषालय अधिकारी हाल म0प्र0 संचालनालय पेंशन भोपाल, श्री जी0के भार्गव सेवानिवृत्त कोषालय अधिकारी निवासी पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर एवं श्री पी0पी0 श्रीवास्तव सेवानिवृत्त कोषालय अधिकारी हाल 65-गायत्री बिहार थाटीपुर को कथन हेतु सूचना पत्र भेजा गया। सूचना पत्र ओसी सामिल डायरी की गई। प्रकरण सदर में कोषालय कर्मचारी राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं संदेही हरी सिंह कुशवाह की चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रदाय करने हेतु पुनः स्मरण पत्र लेख किया गया। स्मरण पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई। प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को श्री आर0पी0सोनी तत्कालीन सीजेएम महोदय ग्वालियर की तैनाती की जानकारी हेतु पत्र लेख किया गया। पत्र की ओसी सामिल डायरी की गई।
51	109/15.04.2021	प्रकरण सदर में सउनि सुरेन्द्र राजौरिया थाना पड़ाव को नाजिर शंकरलाल की सम्पत्ति की जानकारी हेतु सूचना पत्र देकर शंकरलाल के घर घोसीपुरा मुरार रवाना किया गया। सउनि सुरेन्द्र राजौरिया द्वारा मृतक शंकरलाल के लडके अमन शैजवार को दिनांक 17.04.2021 सूचना पत्र तामिल कराया गया। सउनि सुरेन्द्र राजौरिया ने वापसी पर बताया कि मृतक शंकरलाल का मकान लगभग 30 बाई 50 में दो मंजिला बना हुआ है। मृतक के लडके अमन शैजवार के उपस्थित होने सम्पत्ति की जानकारी ली जावेगी।

52	110/17.04.2021	<p>प्रकरण सदर में अमन शैजवार पुत्र स्व० शंकरलाल शैजवार निवासी घासमण्डी मुरार कार्यालय उपस्थित आया। मृतक नाजिर शंकरलाल के पुत्र अमन से पूछताछ की तो बताया कि उनके पिता शंकरलाल ने 2014 में घासमण्डी मुरार में मकान बनवाया था जिसमें अभी फिनिशिंग नहीं हुई। प्लाट पिताजी ने काफी समय पहले खरीदा था। मकान में वह उनकी माँ कमला व बहन खुशबु रहते हैं। घर खर्च के लिये पिताजी के रिटायरमेंट का पैसा मिला था उससे घर चला रहे हैं। उन्हें पिताजी के काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके पिताजी ने उन्हें उनके काम के बारे में कुछ नहीं बताया था। न्यायालय के जप्तमाल के संबंध में उन्हें तथा उनकी माँ को कोई जानकारी नहीं है। अमन को परिवार के आधार कार्ड, पैनकार्ड एवं प्लाट की रजिस्ट्री की छायाप्रति प्रस्तुत करने हेतु बताया गया। कथन लिया जो सामिल डायरी किया गया। प्रकरण सदर में कोषालय के अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री पी०पी०श्रीवास्तव एवं श्री जी०के०भार्गव को सूचना पत्र देकर तलब किया गया था लेकिन लॉकडाउन के कारण नोटिस तामील नहीं हो सकें। पुनः साक्षियों को उपस्थिति बाबत सूचना पत्र भेजा जावेगा। प्रकरण सदर में सउनि सुरेन्द्र राजौरिया को मृतक नाजिर वीरप्रताप के परिजनों को पूछताछ हेतु सूचना पत्र देने हेतु रवाना किया गया। सूचना पत्र की प्रति सामिल डायरी की गई।</p>
53	111/10.05.2021	<p>प्रकरण सदर में मृतक नाजिर शंकरलाल शैजवार का पुत्र अमन शैजवार द्वारा मृतक शंकरलाल शैजवार का मृत्यु प्रमाणपत्र छायाप्रति प्रस्तुत की गई जो सामिल डायरी की गई। मकान 936 वर्ग फुट में अधूरा बना हुआ है शंकरलाल के परिवार के लोग आर्थिक तंगी से जीवन बसर कर रहे हैं। शंकरलाल के परिजनों के आधार कार्ड, पैनकार्ड से खातों एवं लेनदेन संबंधी जानकारी प्राप्त की जावेगी। प्रकरण सदर में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होने से प्रकरण की विवेचना में प्रगति नहीं हो पा रही है। न्यायालय भी बंद है जिससे न्यायालय से चाहे गये दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हो पा सके हैं। नाजिर वीरप्रताप के परिजन की सम्पत्ति की जानकारी लेने हेतु सउनि सुरेन्द्र राजौरिया को पावंद किया गया है। प्रकरण सदर में कोषालय के अधिकारी श्री रघुनाथ सिंह चौहान श्री पी०पी० श्रीवास्तव एवं श्री जी०के०भार्गव को सूचनापत्र देकर तबल किया गया था लेकिन लॉकडाउन के कारण नोटिस तामील नहीं हो सके हैं। पुनः साक्षियों को उपस्थित बाबत सूचना पत्र भेजा जाता है।</p>
54	112/11.06.2021	<p>प्रकरण सदर में लॉकडाउन के बाद जिला न्यायालय में शाखाओं का कार्य प्रारंभ होने से सउनि सुरेन्द्र राजौरिया को थाना ग्वालियर के उक्त अपराध की आर्डरशीट एवं चालान की प्रतियां प्राप्त करने हेतु नकल शाखा भेजा गया था। सउनि ने लोटकर बताया कि नकल शाखा द्वारा बताया गया कि डायरी काफी बड़ी है जो दस्तावेज की आवश्यकता हो तो उनपर फ्लेग लगाकर दे दो जिससे उक्त दस्तावेज प्रदाय किये जा सकें। संबंधित न्यायालय में जाकर सम्पर्क किया गया तो कार्य व्यस्तता के कारण आइन्दा डायरी उपलब्ध कराना बताया है।</p>
55	113/18.06.2021	<p>प्रकरण सदर में तत्कालीन कोषालय अधिकारी श्री गोपाल कृष्ण भार्गव पुत्र स्व० राधावल्लभ भार्गव उम्र 69 साल निवासी मानकचोक पुरानी शिवपुरी हाल 64 पटेल नगर सिटी सेंटर ग्वालियर कार्यालय उपस्थित आये। प्रकरण सदर के संबंध में श्री जी०के०भार्गव से पूछताछ कर कथन लिया गया जिन्होंने कथन में बताया कि वे दिनांक 17.04.2006 से दिनांक 28.05.2006 तक कोषालय अधिकारी मोतीमहल ग्वालियर के प्रभार में रहे हैं। उक्त एक महीने के कार्यकाल के दौरान दिनांक 02.05.2006 को नाजिर हरी सिंह जिला न्यायालय ग्वालियर से जप्तशुदा सम्पत्ति लेने कोषालय मोतीमहल माननीय न्यायालय का पत्र एवं कोषालय की मूल पावती लेकर आया था जिसके अनुसार दृढकक्ष मे रखे गये सरल क्रमांक 121/1 पर अंकित बाक्स वापिस किया गया था। कोषालय बहुमूल्य सम्पत्ति रजिस्टर 121/1 पर नाजिर हरी सिंह की हस्ताक्षर की पावती प्राप्त कर बाक्स उसे सुपुर्द किया गया था। तत्समय पदस्थ स्टॉम्प डिपो कीपर</p>

		<p>श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा हरी सिंह को बाक्स क्रमांक 121/1 पर जमा एक बाक्स प्रदाय किया था जो कोषालय अभिलेख में दर्ज है। उक्त बाक्स नम्बर 121/1 पुनः उनके कार्यकाल में वापिस नहीं आया था। विस्तृत कथन संलग्न डायरी किया। प्रकरण सदर में बाक्स नम्बर 121/2 श्री पी0पी0श्रीवास्तव तत्कालीन कोषालय अधिकारी के कार्यकाल में दिनांक 27.06.2006 को कोषालय से नाजिर हरी सिंह ने प्राप्त किया था। पी0पी0श्रीवास्तव को कथन हेतु तलब किये जाने हेतु सम्पर्क किया गया तो पता चला कि प्राप्त किया था। श्री पी0पी0श्रीवास्तव 24 अप्रैल 2021 से कोविड के कारण पहले परिधि हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हालत ठीक न होने पर ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती है। पी0पी0श्रीवास्तव के लड़के शोभित श्रीवास्तव से उसके मोबाइल नम्बर 9971025199 पर सम्पर्क किया गया तो बताया कि पी0पी0 श्रीवास्तव की हालत स्थित है। लेकिन पूर्णतया स्वस्थ नहीं है। ग्लोबल हॉस्पिटल से तस्दीक कराई गई तो पाया गया कि श्री पी0पी0 श्रीवास्तव 1 जून 2021 से कोविड बीमारी का ईलाज करा रहे है। स्वस्थ होने पर श्री पी0पी0श्रीवास्तव से पूछताछ की जावेगी। प्रकरण सदर में श्री रघुनाथ सिंह चौहान तत्कालीन कोषालय अधिकारी को सूचना पत्र के संबंध में उपस्थित के संबंध में उनके मोबाइल नम्बर 8349424392 पर सम्पर्क किया गया तो बताया कि वे संचनालय भोपाल में पदस्थ है। साक्षी को कथन हेतु उपस्थिति बाबत सूचित किया गया। उपस्थित होने पर प्रकरण सदर के संबंध में पूछताछ की जावेगी। प्रकरण सदर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ग्वालियर को मुद्देमाल 1245/89 के संबंध में 06 बिन्दुओं की जानकारी प्रदाय करने हेतु पत्र लेख किया गया। जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।</p>
--	--	--

19. It is an unfortunate case where two persons lost their lives in a dacoity committed in the year 1988. The FIR regarding misplacement of the ornaments worth Rs.80,00,000/- was lodged in the year 2017 and still the investigating agency is in dark and is unable to reach to any plausible conclusion. On earlier occasions this Court had already expressed that in case if it is found that the investigating officer is not investigating the matter in an effective way, then this Court may transfer the investigation to CBI.

20. From the affidavit of Senior Superintendent of Police, Gwalior and the chronology of events, it is clear that the investigating agency is still in search of some documents, however, the manner in which the investigation is progressing at snail's speed, it can also not be appreciated. Accordingly, this petition is **disposed of** with the following directions:-

1. The Senior Superintendent of Police, Gwalior shall immediately constitute a SIT under the leadership of an officer not below the rank of Additional Superintendent of Police.
 2. The SIT shall conduct an investigation on day to day basis.
 3. The SIT shall also submit its monthly development report before the Principal Registrar of this Court on the last day of every month.
 4. As per Section 173 (1) of Cr.P.C., conclusion of investigation without any unnecessary delay is the mandate of law and looking to the nature of allegations, the SIT is directed to conclude the investigation positively within a period of six months from today.
21. Needless to mention that this Court has not considered the merits of the case and has also not considered the direction in which the investigation is going on, therefore, the SIT shall conduct the investigation independently without getting influenced or prejudiced by this order.

(G.S. AHLUWALIA)
JUDGE

Arun*